# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिह पुरोहित (आर0ए0एस0)
वाद स0 : 480 सन 2018
अनवान :–

1. लिच्छीराम पुत्र चन्दुराम जाति ब्रहाम्ण निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
वादी

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सहायक अभियन्ता , जल संसाधन उपखण्ड तृतीय तहसील नोहर जिला हनुमानगढ। प्रतिवादीगण
3. मोहनलाल 4. रामस्वरूप 5. जयलाल 6. जगदीश पि0 चन्दुराम जाति ब्रहाम्ण निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. खेतु पत्नी चन्दुराम जाति ब्रहाम्ण निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

**प्रतिवादीगण**

**दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88**
**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता अधिवक्ता वादी
श्री जय कौशिक पेरोकार राज

**निर्णय दिनांक :–** 02/07/2019

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 की खातेदारी भूमि रोही मौजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 61/89 के कुल किता 47 की कुल 10.6290हैक्ट बतौर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि के प0न0 314/380(51) के किला न0 24 ,25 में नहर बनी हुई है परन्तु प0न0 314/380(51) के किला न0 23 जो वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 की खातेदारी भूमि है जिसमें भी 0.070हैक्ट भूमि सिचाई विभाग नहर नोहर वितरिका के नाम जरिये इन्तकाल संख्या 239 दर्ज हुई है। जिसमें मौका पर नहर नही है मौका पर प0न0 314/380(51) के किला न0 23/0.253हैक्ट , भूमि परन्तु राजस्व रिकार्ड में 23/2 की 0.1830हैक्ट भूमि दर्ज है व किला न0 23/1 की 0.070हैक्ट भूमि सिचाई विभाग नहर नोहर वितरिका के नाम से दर्ज है जिससे वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वाद राज्य सरकार के विरूद्व होने के कारण 80 सीपीसी नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है आवश्यक प्रकृति का होने के कारण 80 सीपीसी नोटिस की छुट दी जावे।

वादी ने तहसीलदार नोहर को वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि को सिचाई विभाग नहर नोहर वितरिका के स्थान पर बतौर खातेदार दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया किन्तु तहसीलदार नोहर ने कोई कार्यवाही नही की गई इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अत: वाद वादी डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 61/89 के प0न0 314/380(51) के किला न0 23/1 की 0.070हैक्ट गै0मु0 सिचाई विभाग नहर नोहर वितरिका के नाम दर्ज भूमि को वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 के विरूद्व किसी प्रकार की रिलिफ नही होने के कारण तर्क किया गया । प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के वाद को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की राजस्व रिकार्ड में अवाप्ति आदेश की पालना में जरिये नामान्तकरण नियमानुसार सही तौर से दर्ज हुई है पूर्व में पारित आवाप्ति आदेश सक्षम स्तर से निरस्त हुए बिना राजस्व रिकार्ड में नहर के नाम दर्ज गैर मुमकिन भूमि की किस्म परिर्वतन नही कर बतौर खातेदार दर्ज नही किया जा सकता है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कीधारा 63 के खण्ड (3) के प्रावधानो के अनुसार वादी के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है जो विधि सम्मत हुआ है वाद वादी खारिज फरमाया

Scanned with CamScanner

जावे सहायक अभियन्ता जल संसाधन विभाग ने रिपोर्ट पेश की विवादित भूमि नहर की बाउन्ड्री में नही है जबाब रिपोर्ट शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षो को सुना गया ।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपने वाद मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 की खातेदारी भूमि रोही मौजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 61 / 89 के कुल किता 47 की कुल 10.6290हैक्ट बतौर खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है।

उक्त भूमि के प०न० 314 / 380(51) के किला न0 24 ,25 मे नहर बनी हुई है परन्तु प०न० 314 / 380(51) के किला न0 23 जो वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 की खातेदारी भूमि है जिसमे भी 0.070हैक्ट भूमि सिचाई विभाग नहर नोहर वितरिका के नाम जरिये इन्तकाल संख्या 239 दर्ज हुई है। जिसमे मौका पर नहर नही है मौका पर प०न० 314 / 380(51) के किला न0 23 / 0.253हैक्ट . भूमि परन्तु राजस्व रिकार्ड मे 23 / 2 की 0.1830हैक्ट भूमि दर्ज है व किला न0 23 / 1 की 0.070हैक्ट भूमि सिचाई विभाग नहर नोहर वितरिका के नाम से दर्ज है जिससे वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है। वादी अपने हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि को अपने नाम से बतौर खातेदार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 61 / 89 के प०न० 314 / 380(51) के किला न0 23 / 1 की 0.070हैक्ट गै0मु0 सिचाई विभाग नहर नोहर वितरिका के नाम दर्ज भूमि को वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में निवेदन किया की विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में अवाप्ति आदेश की पालना मे जरिये नामान्तकरण नियमानुसार सही तौर से दर्ज हुई है पूर्व में पारित आवाप्ति आदेश सक्षम स्तर से निरस्त हुए बिना राजस्व रिकार्ड मे नहर के नाम दर्ज गैर मुमकिन भूमि की किस्म परिवर्तन नही कर बतौर खातेदार दर्ज नही किया जा सकता है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कीधारा 63 के खण्ड (3) के प्रावधानो के अनुसार वादी के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है जो विधि सम्मत हुआ है वाद वादी खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार रोही मौजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 61 / 89 के प०न० 314 / 380(51) के किला न0 23 / 1 की 0.070हैक्ट गै0मु0 सिचाई विभाग नहर नोहर वितरिका के नाम बतौर गै0मु0 दर्ज है अर्थात जब नोहर वितरिका का निर्माण करने हेतु अवाप्ति की कार्यवाही की गई थी अवाप्ति की कार्यवाही के समय विधिवत अधिसूचनाए जारी की जाकर सम्बधित काश्तकारो से आपत्तिया प्राप्त की जाकर जिला कलक्टर महोदय के माध्यम से राज्य सरकार के पूर्वअनुमोदन उपरान्त नहर निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति का अवार्ड जारी किया जाता है भूमि अवाप्ती के अवार्ड के अनुसार ही भूमि सम्बधित नहर के नाम गै0मु0 दर्ज की जाती है एव सम्बधित काश्तकारों को भूमि के बदले में मुआवजा राशि का भुगतान किया जाता है।

हस्तगत प्रकरण मे भी नियमानुसार भूमि अवाप्ति का अवार्ड जारी हुआ है अवार्ड के अनुसार ही विवादित भूमि सिचाई विभाग नहर नोहर वितरिका के नाम से दर्ज हुई जो प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 239 से साबित है।

इसप्रकार उपरोक्त विवेचन से साबित है कि विवादित भूमि के भूमि अवाप्ती के अवार्ड के आधार पर नामान्तकरण संख्या 239 के द्वारा सिचाई विभाग नहर नोहर वितरिका के नाम से दर्ज है जब तक उक्त भूमि अवाप्ति के अवार्ड में संशोधन परिवर्तन समक्ष स्तर से नही करवा जाता तब तक वादी उक्त भूमि के सम्बध मे किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। वाद वादी साबित नही होने के कारण काबिल खारिज होने के कारण वाद वादी खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 02/07/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास मे सुनाया गया ।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

Scanned with CamScanner

# पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी )

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

**अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी ( आर.ए.एस)**

अनवान :–

1. लिच्छीराम पुत्र चन्दुराम जाति ब्रहाम्ण निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

**वादी**

**बनाम**

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

2. सहायक अभियन्ता , जल संसाधन उपखण्ड तृतीय तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

3. मोहनलाल 4. रामस्वरूप 5. जयलाल 6. जगदीश पि0 चन्दुराम जाति ब्रहाम्ण निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

7. खेतु पत्नी चन्दुराम जाति ब्रहाम्ण निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

**प्रतिवादीगण**

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**राजस्व वाद संख्या 480 सन 2018 निर्णय दिनांक–** 02/07/2019

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/07/2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner